



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-11102025-266873
CG-MH-E-11102025-266873

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 663]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 10, 2025/आश्विन 18, 1947

No. 663]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2025/ASVINA 18, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 10 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 747(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, यह सुनिश्चित करने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात्, "विजापुर-आंबलियासन गेज परिवर्तन परियोजना", जिला महेसाणा, गुजरात राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक है, इस प्रकार अपनी यह मंशा घोषित करती है कि उक्त भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के विरुद्ध, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (1) के तहत आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, प्रांत अधिकारी, विसनगर, जिला महेसाणा, को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें इसके आधार बताए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक आपत्ति प्रस्तुतकर्ता को स्वयं या कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का अवसर देगा और, यदि आवश्यक हो तो, अपनी ओर से और जांच करने के बाद आदेश द्वारा, आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत भूमि की योजना और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

अनुसूची

गुजरात राज्य में विशेष रेलवे परियोजना: विजापुर- आंबलियासन गेज परिवर्तन परियोजना के लिए संरचना सहित या बिना संरचना के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.	ज़िला	तालुका	गाँव	सर्वेक्षण सं.	भूमि का प्रकार	भूमि उपयोग	बनने वाला क्षेत्र अधिग्रहित (वर्ग मीटर)
01	मेहसाणा	विजापुर	गवाड़ा	1570	निजी भूमि	कृषि	2
02	मेहसाणा	विजापुर	कुकरवाड़ा	625	निजी भूमि	कृषि	13
03	मेहसाणा	विजापुर	कुकरवाड़ा	611	निजी भूमि	कृषि	2
04	मेहसाणा	विजापुर	कुकरवाड़ा	984	निजी भूमि	कृषि	357

[फा. सं. E. -510142-06]

डी. आर. चौधरी, मुख्य परियोजना प्रबंधक (C)-I

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th October, 2025

G.S.R. 747(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred in as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose. The land. the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the special **Railway Project, namely, Vijapur-Ambaliyasan Gauge Conversion Project in District Mahesana in the state of Gujarat**, hereby declares its intention to acquired such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to **the competent authority, namely, Prant officer, Visnagar , District Mehsana**, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objection.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final. the land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project :

Vijapur – Ambaliyan Gauge Conversion Project in the state of Gujarat .

Sl. No.	District	Taluka	Village	Survey No.	Land Type	Land Use	Area to be Acquired (Sq. Mts.)
01	Mehsana	Vijapur	Gavada	1570	Pvt. Land	Agriculture	2
02	Mehsana	Vijapur	Kukarwada	625	Pvt. Land	Agriculture	13
03	Mehsana	Vijapur	Kukarwada	611	Pvt. Land	Agriculture	2
04	Mehsana	Vijapur	Kukarwada	984	Pvt. Land	Agriculture	357

[F. No. E. -510142-06]

D. R. CHAUDHARY, Chief Project Manager (C)-I